न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल न	तारीख दायर	तारीख फैसला
148 / 2022	05 / 12 / 2022	06 / 04 / 2023

1. हनुमान मीना पुत्र भौरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. रामप्यारी पत्नि भौरीलाल
3. कानाराम पुत्र भौरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नटाटा,तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :– वकील वादीगण
पैरोकार सरकार :– उपस्थित।
प्रतिवादी :– उपस्थित।

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि जिसके खाता नं0 353 जिसके खसरा नम्बर 805 रकबा 0.0300 हैक्टेयर व खाता नं0 355 जिसके खसरा नम्बर 892 रकबा 0.8200 हैक्टेयर व खाता नं0 356 जिसके खसरा नम्बर 880 रकबा 0.0400 हैक्टेयर व खाता नं0 376 के खसरा नम्बर 879 रकबा 0.0300 हैक्टेयर ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है जो कि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है तथा वादी के पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमियों का विरासती नामान्तकरण खोलते समय कर्मचारियों ने वादी का नाम छोटू पुत्र भौरीलाल सहवन से गलत दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि वादी का सही नाम हनुमान मीना पुत्र भौरीलाल है और उसी अनुसार वादग्रस्त भूमियो मे वादी का नाम सही अंकित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादी के अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रासन कार्ड आदि मे रिकार्ड मे वादी के हनुमान मीना पुत्र भौरीलाल अंकित है। जो कि सही है जिस कारण वादी के राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर हनुमान मीना पुत्र भौरीलाल घोषित करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमियों का विरासत का नामान्तकरण खोलते समय वादी नाबालिक था लेकिन अब जन्मतिथि 10.03.1986 के आधार पर 36 साल का हो चुका है। जबकि उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे वादी नाबालिक दर्ज चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त कर नाबालिक छोटू पुत्र भौरीलाल संरक्षिका माता रामप्यारी के स्थान पर हनुमान मीना पुत्र भौरीलाल घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त वर्णित आराजीगत मे वादी के राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राज नाबालिक छोटू पुत्र भौरीलाल संरक्षिका माता रामप्यारी के स्थान पर हनुमान मीना पुत्र भौरीलाल घोषित किया जावे तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ तहरीर लिखा जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 दिनांक 13.01.2023 को स्वयं उपस्थित हुआ, जो वादी की माता व सगा भाई है, ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि में वादी का नाम नाबालिक छोटू पुत्र भौरीलाल संरक्षिका माता रामप्यारी के स्थान पर हनुमान मीना पुत्र भौरीलाल मीना घोषित कर दिया जाता है तो हम प्रतिवादी सं0 2 व 3 को कोई आपत्ति व ऐतराज नही है तथा अपनी सहमति देते है। पैरोकार सरकार ने अपने पत्रांक / रीडर / 2023 / 152 दिनांक 04.04.2023 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 805 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.82 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह मुताबिक रिकार्ड काना पुत्र भौरीलाल हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अनुसार के अंकित है। मुताबिक प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों व मौके की रिपोर्ट के प्रार्थी का नाम छोटू पुत्र भौरीलाल के बजाय हनुमान पुत्र भौरीलाल जाति मीणा नियमानुसार किया जाना उचित होगा। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

अतः वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के स्थान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर शपथ वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के खाता सं. 351 जिसके खसरा नम्बर 805 रकबा 0.0400 हैक्टेयर व खाता सं. 355 जिसके खसरा नम्बर 842 रकबा 0.8200 हैक्टेयर व खाता सं. 356 जिसके खसरा नम्बर 880 रकबा 0.0400 हैक्टेयर व खाता सं. 376 के खसरा नम्बर [illegible] [illegible] हैक्टेयर [illegible] घोषित किया जाकर तहसील हेतु 1) भीरीलाल तहसीलदार [illegible] के अवार्ड को [illegible] 2) भीरीलाल के अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली सुधार होकर नम्बर से कम की पत्रावली दर्शित एकत्र हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखित करवाया जाकर आज दिनांक 06.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/4/23

उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार
जमवारामगढ़